

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नं: 0141-2228066, 2228064

फैक्स नं 0141-2228065

वेबसाइट : www.rmschealth.rajasthan.gov.in

सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल :: edprocurement@gmail.com एवं rmsc@nic.in

क्रमांक : F.02(354)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-11/2022/576

Dated:- 13/02/23

कार्यालय आदेश


भेषज एवं औषधियों की आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक F.02(354)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-11/2022/1759 Dated:-20.06.2022 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स Omega Pharma, Khasra No. 482, Village-Saliyar, roorkee-247667, Uttarakhand द्वारा अन्य आइटमों के साथ-साथ आइटम कोड 97 (Cephalexin Cap IP 500 mg) के लिये भी बिड प्रस्तुत की गई थी। जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 15.07.2022 एवं वित्तीय बिड दिनांक 16.08.2022 को खोली गयी। जिसमें फर्म M/s Omega Pharma ने आइटम कोड 97 (Cephalexin Cap IP 500 mg) पैकिंग 10x10 Cap Blister (Rate should be quoted for 1 Cap) के लिये दर रु 2.04+12% कोट की थी। फर्म ने अपने पत्र दिनांक 17.08.2022 द्वारा गलत रेट कोट होने के कारण दरो को स्वीकार नहीं करने तथा एलओए जारी नहीं करने के लिये लिखा गया। उक्त आइटम के लिये L2 फर्म द्वारा दर रु 3.15+GST कोट की गई थी। साथ ही इस आइटम के लिये गत निविदा में दर रु 2.50+GST अनुमोदित की गई थी।

प्रकरण दिनांक 23.08.2022 को हुई क्रय समिति की बैठक में रखा गया जिसमें फर्म के विरुद्ध निविदा शर्तों के तहत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय के पत्र 2944 दिनांक 15.09.2022 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया। फर्म से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। प्रकरण निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 13.12.2022 में रखा गया। फर्म को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित होने बाबत लिखा गया लेकिन फर्म की ओर से कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः फर्म को बिड शर्तों के उल्लंघन के लिये दोषी मानते हुये निविदा की शर्त सं. 9(7) में उल्लेखित प्रावधान—"No Bidder shall be allowed to claim revision or modification of bid after opening of bid. If any bidder withdraws or modifies its bid after opening of bid the bid security taken from the bidder shall be forfeited. Representation to make correction in the Bid documents on the ground of Clerical error, typographical error, etc., committed by the Bidders in the Bids shall not be entertained after submission of the Bids. Conditions such as "SUBJECT TO AVAILABILITY" "SUPPLIES WILL BE MADE AS AND WHEN SUPPLIES ARE RECEIVED" etc., will not be entertained under any circumstances and the Bids of those who have given such conditions shall be treated as incomplete and accordingly the Bid will be rejected." शर्त सं. 19(1) में उल्लेखित प्रावधान—" If the successful Bidder fails to execute the agreement and/or to deposit the required performance security within the time specified or withdraws his Bid after the intimation of the acceptance of his Bid has been sent to him or owing to any other reasons, he is unable to undertake the contract, his contract will be cancelled and the Bid security Deposit deposited by him along with his Bid, shall stand forfeited by the Bid Inviting Authority and he will also be liable for all damages sustained by the Bid Inviting Authority apart from blacklisting/ debarring the supplier. (As per guidelines for blacklisting/ debarring at annexure IX)" एवं डिबारिंग पालिसी के बिन्दु संख्या 2.1 में उल्लेखित प्रावधान "The successful Bidder fails to execute the agreement after being declared as L-1, L-2 or L-3 etc. to perform the obligations under the Bid conditions, Bid Security Deposit of such Bidder firm shall be forfeited. If an LoA for more than one products is issued to a successful bidder and he/she/it fails to execute agreement for few items, in such case, a penalty of Rs. 2.00 lac and in case of MSME of the State of Rajasthan Rs. 50,000 shall be

imposed on successful bidder and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 years” के अन्तर्गत M/s Omega Pharma, को औषधि आइटम कोड 97 (Cephalexin Cap IP 500 mg) के लिये आरएमएससी की निविदाओं में भाग (participate) लेने से यह आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार करने तथा राशि रु 236000/- (GST@18% सहित) (अक्षरे राशि रु दो लाख छत्तीस हजार मात्र) की पैनल्टी आरोपित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। साथ ही आइटम के लिये उच्च दर अनुमोदन पर अन्तर राशि की वसूली उक्त फर्म से करने के सम्बन्ध में प्रकरण में निर्णय लिया जाकर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।



प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

Dated:- 13/02/23

क्रमांक : F.02(354)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-11/2022/576

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल।
7. कार्यकारी निदेशक (क्यू सी.), आरएमएससीएल।
8. OIC, Supply, आरएमएससीएल।
9. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि मैसर्स Omega Pharma द्वारा जमा कराई गई बिड सिक्योरिटी राशि रु 200000 (Challan- M282658, dated 11.07.2022, PUNJAB NATIONAL BANK) जो कि इस अनुभाग की अनौ टीप क्रमांक 2307 दिनांक 02.08.2022 के द्वारा वित्त अनुभाग को भिजवाया गया है, जिसमें से राशि रु 2 लाख (अक्षरे राशि रु दो लाख मात्र) जब्त करें तथा फर्म के अन्य भुगतान से शेष राशि रु. 36000 होल्ड करें।
10. संयुक्त निदेशक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Omega Pharma, Khasra No. 482, Village-Saliyar, roorkee-247667, Uttarakhand को भेजकर लेख है कि आरोपित की गयी पैनल्टी में से शेष राशि रु. 36000 निगम में दिनांक 09.02.2023 तक (चालान/डीडी/RTGS) द्वारा जमा कराकर कार्यालय को अविलंब सूचित करें।
12. रक्षित पत्रावली


कार्यकारी निदेशक (पी)
आरएमएससीएल